

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद**

श्री भैरुसिंह पिता श्री विजय सिंह सोडा निवासी: ग्रा.पं. उपडाकघर वाया केलवा तहसील एवं जिला राजसमंद

- अपीलार्थी



**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 80/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 13.12.2022</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांत अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांक: /सू.का अधि.05/2022/3165 दिनांक 27.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक: सू.अ.05/2022/2929 दिनांक 29.09.2022 को भिजवाई जा चुकी है। जिसमें उल्लेख किया कि निःशुल्क चाही गयी प्रतिलिपि कोर्ट की विचाराधीन पत्रावली संख्या 25/2016 वाद की है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालय प्रकरण की निःशुल्क प्रतिलिपि देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय प्रकरण की नियमानुसार न्यायालय में प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पेश कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन पर लो.सू.अ. द्वारा निर्णय लिया जाकर नियमानुसार प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय की जैरकार पत्रावलियों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने से संबंधित है। न्यायिक प्रक्रिया में एक सुंस्थापित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रावधान है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य विचाराधीन होते हैं यदि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार है तो कोर्ट मेन्चूल एक्ट के तहत आवेदन कर नियमानुसार प्रकरण से संबंधित प्रतिलिपियों प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी</b> <b>(जिला कलक्टर) राजसमंद</b></p>	<p style="text-align: center;"></p>